


तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

9/10/23

पदावली पैग 517 570 फटा 136 LR मय 2000 दिक्  
जिना गती है निम्नलिखित निम्नलिखित हुक्म में निम्नलिखित  
जाणत आदिनि पदावली जिना गती पदावली  
फैलल मुक्त दिक् गेसत मे मय दिक् वासिक  
जद्वर है निम्नलिखित हुक्म मय

  
उपखण्ड अधिकारी  
करीली (राज.)



नम्बर  
अहमद  
महसुस  
जिना

हुक्म

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु०न०:-62/25

तारीख रजु:-25.07.2025

उनवान

मनोहरी पुत्र इन्दर आयु 76 साल जाति मीना निवासी पाटोर तहसील व जिला करौली

-वादी/प्रार्थी

बनाम

1. कमल पुत्र चन्दर आयु 75 साल जाति मीना निवासी पाटोर तहसील व जिला करौली
2. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली

-प्रतिवादीगण/अप्रार्थी

दर. अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

-::निर्णय::-

दिनांक:- 9/10/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 269/4 रकबा 2.0000 दो बीघा वाके ग्राम पाटोर पटवार जिला करौली बीजलपुर तहसील करौली में स्थित है जो मुझको दिनांक 7.11.1983 को नियमानुसार 2 बीघा जमीन ऐलोटमेंट हुई थी। प्रार्थी ने अपने खसरा नंबर 269/4 में से एक बीघा जमीन मरतलाल पुत्र रामबल जाति मीना निवासी गुलबी का पुरा तहसील बजीरपुर जिला तवाईमाधोपुर को विक्रय कर दी थी जिसका नवीन खसरा नंबर 523/269 नक्शे में दर्ज किया गया था तथा प्रार्थी के ऐलोट शुदा नंबर 269/4 में से एक बीघा जमीन 524/269 नक्शे में दर्ज की गयी। प्रार्थी वादी का कब्जा शुरू से ही ऐलोटमेंट के समय से गैरसायल/प्रतिवादी कमल के नाम जो खसरा नंबर लगातार ऐलोटमेंट के समय से चला आ रहा है और मैं खसरा नंबर 269/1 पर काबिज हूं और काश्त करता चला आ रहा हूं। जिसमें दोनों फसल रबी व खरीफ की करता चला आ रहा है और आज भी मौके पर मेरा कब्जा है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर मेरा कब्जा 524/269 पर मौके पर नहीं है। इस जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है खाली पडी हुई है तथा 269/1 पर भी कमल का कब्जा नहीं है कमल ने आज तक जमीन पर किसी भी रकबे पर कोई कब्जा नहीं है। कमल मुझे नाजायज परेशान करता है और रेवेन्यू नक्शे के अंदर गलत तरमीम होने के कारण उसको अपनी अताकर बिना कब्जा के झगडा फसाद करता है। जबकि कमल का का किसी भी रकबे पर कही भी कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थी का मौके पर कब्जा 269/1 तरमीम किया जाये और मौके पर कब्जा देखते हुए 269/1 के स्थान पर 524/269 दर्ज किया जावे रेवेन्यू नक्शे के अंदर भी लाल स्याही से अंकित किया जावे। जिससे हमसे आपस में कोई विवाद ना हो मेरा कब्जा 269/1 पर है। ये तरमीम की जावे। रेवेन्यू रिकॉर्ड में भूलवश गलत तरमीम बिना मौका देखे बिन कोई कब्जा देखते उस समय दर्ज कर दी गयी थी। मैं बुजुर्ग आयु 76 साल की आयु का है। अनपढ हू मैं रेवेन्यू नक्शे जमाबंदी में नही समझता हूं। मेरे बच्चे संजीव ने जब रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाईन नक्शा से जमाबंदी निकलवायी और तहसीलदार करौली को मौके कब्जा की रिपोर्ट तलब करने के

उपखण्ड अधिकारी  
करौली (राज०)

आदेश प्राप्त किए जो आदेश माननीय पटवारी महोदय को दिये गये हल्का पटवारी बीजलपुर ने मौके पर जाकर हमारे कब्जे काश्त को देखा तो हमारा कब्जा काश्त खसरा नंबर 369/1 पर काबिज मिला तथा गैरसायल/प्रतिवादी कमल का कही भी कोई कब्जा नहीं मिला आज तक है। कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त बाबत हल्का पटवारी की रिपोर्ट जो तहसीलदार को दी थी उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि इस दर. के साथ संलग्न है। मुझ प्रार्थी को रेवेन्यू नक्शे में 524/269 को खसरा नंबर 269 /1 के स्थान पर लाल स्याही से तरमीम किया जावे और खसरा नंबर 269/1 के स्थान पर प्रार्थी के ऐलोटशुदा खसरा नंबर 524/269 पूर्व का खसरा नंबर 269/4 दर्ज किया जावे और नक्शे में लाल स्याही से 269/1 के स्थान पर 524/269 तरमीम किया जावे। पूर्व में नक्शे में तरमीम करने में रेवेन्यू विभाग में कर्मचारी से सहवन से भूल हुई है इसलिए मुताबिक कब्जा रेवेन्यू रिकॉर्ड नक्शे में तरमीम की जाये। बिना किसी आदेश के गलत तरमीम की गयी है। अंत में रेवेन्यू नक्शे में आराजी खसरा नंबर 524/269 को नक्शे में दर्ज खसरा नंबर 269/1 में डाला जावे और 269/1 जहां कही कमल का कब्जा हो उस पर डाला जाने का निवेदन किया है।

दर० वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी/अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि अरजी दरखास्त में मनोहरी ने दिनांक 07/01/1983 को दो वीघा जमीन खसरा नम्बर 269/4 स्वयं को एलोटमेंट होना बताया है तथा इसमें से एक वीघा जमीन भरतलाल पुत्र रामबल को विक्रय होना बताया है तथा ये भी बताया है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 269/4 में से एक वीघा जमीन 524/269 कायम की गई। ये तमाम तथ्य मुझ कमल की जानकारी के बाहर है। दिनांक 7/1/1983 को दो वीघा जमीन एलोट होना गलत तौर पर बताया है क्योंकि इसमें इस तथ्य को नहीं बताया है कि एलोटमेंट के बाद नक्शों में कोई तरमीम की गई हो तथा साथ ही यह भी नहीं बताया गया है कि एक वीघा जमीन जिसे भरतलाल पुत्र रामबल को बेचना बताया है उसका 1 वीघा रकवा 524/269 कायम होने पर नक्शे में मजीद तरमीम की गई हो। बिना तरमीम के अलग-अलग एक-एक वीघा रकवे का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ऐसी सूरत में धारा 136 में प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि सायल ने इस तथ्य को बोनाइल्मी माननीय न्यायालय में नक्शा पेश कर नहीं मझाया है। मुझ कमल के नाम खसरा नम्बर 269/1 था उस पर मनोहरी रेवेन्यू नक्शे में माना कब्जा बताता है और ये भी कहता है कि वह फसल काश्त करता है और आज भी मौके पर कब्जा बताता है। ये तथ्य बनावटी एवं झूठे हैं क्योंकि 269/1 से मनोहरी का कोई संबंध न ताल्लुक नहीं है। खसरा नम्बर 269/1 मुझ कमल को एस.डी.ओ. साहब करौली ने दिनांक 7/1/1983 को एक वीघा रकवा एलोट हुआ तथा मौके पर कब्जा रिपोर्ट भी तैयार की गई जिस पर कब्जा देते समय मौजूदगान के भी हस्ताक्षर हुए तथा अब्बल दिन से ही मेरा मौके पर दिये हुए कब्जे के अनुसार लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर तरमीम भी इसी प्रकार हो रही है तथा कब्जे काश्त बदस्तूर मुझ कमल का चला आ रहा है तथा मौके पर मैं कमल बाजरे की फसल काश्त करता हूं ऐसी सूरत में रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या हैराफेरी नहीं है इस कारण दर० मनोहरी खारिज होने योग्य है। धारा 136 एल.आर. एक्ट. के प्रावधान त्रुटि की दुरुस्ती हेतु होते हैं। रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है न ही मौके के कब्जे काश्त में कोई चूक है मजीद ये तथ्य भी काबिज गौर है कि मनोहरी पटवारी हल्का से मिली भगत किये हुए हैं तथा पटवारी मनोहरी से लम्बी रकम खा गया हेतु तथा वह बाला ही वाला बिना प्रार्थी को सूचना दिये फर्जी मौके की रिपोर्ट बना रहा है जिस बावत मुझे पता लगने पर मुझ प्रार्थी ने तहसीलदार साहब करौली से पटवारी की शिकायत की परन्तु मेरी दर० को भी तहसील से गायब करवा दिया उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। यदि मुझ प्रार्थी कमल के पुस्त पर बिना सूचना दिये कोई मौका रिपोर्ट बनाई हो तो वो मेरे हकूक पर बेअसर निस्प्रभावी हैं। कानूनी तौर पर कोई भी काश्तकार कब्जे काश्त या भूमि के सीमा विवाद बावत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत अपने खाते कब्जे की जमीन का

2/11  
 उपखण्ड अधिकारी  
 करौली (राज०)

सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करा सकता है परन्तु गलत तौर पर धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश कर दी है जो खारिज होने योग्य है। मुझ प्रार्थी कमल द्वारा धारा 188 आर.टी.एक्ट श्रीमान ए. सी.एम. साहब करौली के अजलाश में कर रखा है। जिसमें भरत लाल के विरुद्ध मौके की यथावत स्थिति रखने एवं मुझ सायल के कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत ने करने हेतु कमल के विरुद्ध स्टे दिनांक 16/12/2024 को जारी किया जो चुका जिसमें तारीख लगातार चल रही है तथा आगामी तारीख 19/09/2025 ए.सी.एम.साहब के अजलाश में चल रही है ऐसी सूरत में मनोहरी द्वारा पेश दर0 धारा 136 एव.आर.एक्ट उपरोक्त तथ्यों के मददे नजर चलने योग्य नहीं है तथा धारा 136 एल.आर.एक्ट. खारिज होने योग्य है। अंत में दर0 धारा 136 एल.आर.एक्ट को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

**बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।**

वकील प्रार्थी का बहस में कथन है कि प्रार्थी वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 269/4 रकबा 2.0000 दो बीघा वाके ग्राम पाटोर पटवार हल्का बीजलपुर तहसील करौली में स्थित है जो मुझको दिनांक 7.11.1983 को नियमानुसार 2 बीघा जमीन ऐलोटमेंट हुई थी। प्रार्थी ने अपने खसरा नंबर 269/4 में से एक बीघा जमीन भरतलाल पुत्र रामबल जाति मीना निवासी गुलबी का पुरा तहसील बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर को विक्रय कर दी थी जिसका नवीन खसरा नंबर 523/269 नक्शे में दर्ज किया गया था तथा प्रार्थी के ऐलोट शुदा नंबर 269/4 में से एक बीघा जमीन 524/269 कायम की गयी। प्रार्थी वादी का कब्जा शुरू से ही ऐलोटमेंट के समय से गैरसायल/प्रतिवादी कमल के नाम जो खसरा नंबर लगातार ऐलोटमेंट के समय से चला आ रहा है और मैं खसरा नंबर 269/1 पर काबिज हूं और काश्त करता चला आ रहा हूं। जिसमें दोनों फसल रबी व खरीफ की करता चला आ रहा है और आज भी मौके पर मेरा कब्जा है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर मेरा कब्जा 524/269 पर मौके पर नहीं है। इस जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है खाली पडी हुई है तथा 269/1 पर भी कमल का कब्जा नहीं है कमल ने आज तक जमीन पर किसी भी रकबे पर कोई कब्जा नहीं है। कमल मुझे नाजायज परेशान करता है और रेवेन्यू नक्शे के अंदर गलत तरमीम होने के कारण उसको अपनी अताकर बिना कब्जा के झगडा फसाद करता है। जबकि कमल का किसी भी रकबे पर कही भी कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थी का मौके पर कब्जा 269/1 तरमीम किया जाये और मौके पर कब्जा देखते हुए 269/1 के स्थान पर 524/269 दर्ज किया जावे रेवेन्यू नक्शे के अंदर भी लाल स्याही से अंकित किया जावे। जिससे हमसे आपस में कोई विवाद ना हो मेरा कब्जा 269/1 पर है। ये तरमीम की जावे। रेवेन्यू रिकॉर्ड में मूलवश गलत तरमीम बिना मौका देखे बिन कोई कब्जा देखते उस समय दर्ज कर दी गयी थी। मैं बुजुर्ग आयु 76 साल की आयु का है। अनपढ हू मैं रेवेन्यू नक्शे जमाबंदी में नही समझता हूं। मेरे बच्चे संजीव ने जब रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाईन नक्शा से जमाबंदी निकलवायी और तहसीलदार करौली को मौके कब्जा की रिपोर्ट तलब करने के आदेश प्राप्त किए जो आदेश माननीय पटवारी महोदय को दिये गये हल्का पटवारी बीजलपुर ने मौके पर जाकर हमारे कब्जे काश्त को देखा तो हमारा कब्जा काश्त खसरा नंबर 369/1 पर काबिज मिला तथा गैरसायल/प्रतिवादी कमल का कही भी कोई कब्जा नहीं मिला आज तक है। कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त बाबत हल्का पटवारी की रिपोर्ट जो तहसीलदार को दी थी उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि इस दर. के साथ संलग्न है। मुझ प्रार्थी को रेवेन्यू नक्शे में 524/269 को खसरा नंबर 269 /1 के स्थान पर लाल स्याही से तरमीम किया जावे और खसरा नंबर 269/1 के स्थान पर प्रार्थी के ऐलोटशुदा खसरा नंबर 524/269 पूर्व का खसरा नंबर 269/4 दर्ज किया जावे और नक्शे में लाल स्याही से 269/1 के स्थान पर 524/269 तरमीम किया जावे। पूर्व में नक्शे में तरमीम करने में रेवेन्यू विभाग में कर्मचारी से सहवन से भूल हुई है इसलिए मुताबिक कब्जा रेवेन्यू रिकॉर्ड नक्शे में तरमीम की जाये। प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जावे।

उपरोक्त अधिकारी  
करौली (राज0)

वकील अप्रार्थीयान का बहस में कथन है कि अरजी दरखास्त में मनोहरी ने दिनांक 07/01/1983 को दो वीघा जमीन खसरा नम्बर 269/4 स्वयं को एलोटमेंट होना बताया है तथा इसमें से एक वीघा जमीन भरतलाल पुत्र रामबल को विक्रय होना बताया है तथा ये भी बताया है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 269/4 में से एक वीघा जमीन 524/269 कायम की गई। ये तमाम तथ्य मुझ कमल की जानकारी के बाहर है। दिनांक 7/1/1983 को दो वीघा जमीन एलोट होना गलत तौर पर बताया है क्योंकि इसमें इस तथ्य को नहीं बताया है कि एलोटमेंट के बाद नक्शों में कोई तरमीम की गई हो तथा साथ ही यह भी नहीं बताया गया है कि एक वीघा जमीन जिसे भरतलाल पुत्र रामबल को बेचना बताया है उसका 1 वीघा रकवा 524/269 कायम होने पर नक्शे में मजीद तरमीम की गई हो। बिना तरमीम के अलग-अलग एक-एक वीघा रकवे का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ऐसी सूरत में धारा 136 में प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि सायल ने इस तथ्य को बोनाइल्मी माननीय न्यायालय में नक्शा पेश कर नहीं समझाया है। मुझ कमल के नाम खसरा नम्बर 269/1 था उस पर मनोहरी रेवेन्यू नक्शे में आना कब्जा बताता है और ये भी कहता है कि वह फसल काश्त करता है और आज भी मौके पर कब्जा बताता है। ये तथ्य बनावटी एवं झूठे हैं क्योंकि 269/1 से मनोहरी का कोई संबंध व ताल्लुक नहीं है। खसरा नम्बर 269/1 मुझ कमल को एस.डी.ओ. साहब करौली ने दिनांक 7/1/1983 को एक वीघा रकवा एलोट हुआ तथा मौके पर कब्जा रिपोर्ट भी तैयार की गई जिस पर कब्जा देते समय मौजूदगान के भी हस्ताक्षर हुए तथा अब्बल दिन से ही मेरा मौके पर दिये हुए कब्जे के अनुसार लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर तरमीम भी इसी प्रकार हो रही है तथा कब्जे काश्त बदस्तूर मुझ कमल का चला आ रहा है तथा मौके पर मैं कमल बाजरे की फसल काश्त करता हूँ ऐसी सूरत में रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या हैराफेरी नहीं है इस कारण दर० मनोहरी खारिज होने योग्य है। धारा 136 एल.आर.एक्ट. के प्रावधान त्रुटि की दुरुस्ती हेतु होते हैं। रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है न ही मौके के कब्जे काश्त में कोई चूक है नजीद ये तथ्य भी काबिज गौर है कि मनोहरी पटवारी हल्का से मिली भगत किये हुए है तथा पटवारी मनोहरी से लम्बी रकम खा गया हेतु तथा वह बाला ही वाला बिना प्रार्थी को सूचना देये फर्जी मौके की रिपोर्ट बना रहा है जिस बावत मुझे पता लगने पर मुझ प्रार्थी ने तहसीलदार साहब करौली से पटवारी की शिकायत की परन्तु मेरी दर० को भी तहसील से गायब करवा दिया उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। यदि मुझ प्रार्थी कमल के पुस्त पर अपना सूचना दिये कोई मौका रिपोर्ट बनाई हो तो वो मेरे हकूक पर बेअसर निस्प्रभावी हैं। माननी तौर पर कोई भी काश्तकार कब्जे काश्त या भूमि के सीमा विवाद बावत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत अपने खाते कब्जे की जमीन का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करा सकता है परन्तु गलत तौर पर धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश कर दी है जो खारिज होने योग्य है। मुझ प्रार्थी कमल द्वारा धारा 188 आर.टी.एक्ट श्रीमान ए.सी.एम. साहब करौली के अजलाश में कर रखा है। जिसमें भरत लाल के विरुद्ध मौके की यथावत स्थिति रखने एवं मुझ सायल के कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत ने करने हेतु कमल के विरुद्ध स्टे दिनांक 16/12/2024 को जारी किया जो चुका जिसमें तारीख लगातार चल रही है तथा आगामी तारीख 19/09/2025 ए.सी.एम.साहब के अजलाश में चल रही है ऐसी सूरत में मनोहरी द्वारा पेश दर० धारा 136 एव.आर.एक्ट उपरोक्त तथ्यों के मददे नजर चलने योग्य नहीं है तथा धारा 136 एल.आर.एक्ट. खारिज होने योग्य है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा शीट दस्तावेज ऑडरशीट मुकदमा नंबर 89/2024 का अवलोकन किया गया। जिसमें न्यायालय सहायक कलक्टर करौली द्वारा खसरा नंबर 269/1 रकबा 0.2529 हैक्टियर ग्राम पाटौर पटवार हल्का बीजलपुर तहसील करौली के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को अंतरिम

उपरोक्त अधिकारी  
करौली (राज०)

अस्थाई निषधाज्ञा जारी कर उक्त भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे तथा अप्रार्थी कमल के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का मदाखलत मजाहमत ना करे। इस प्रकार उक्त प्रकरण से संबंधित आराजी का मूल वाद उनवानी कमल बनाम भरतलाल वगै० न्यायालय सहायक कलक्टर करौली विचाराधीन है। जिसमें पक्षकारों के हक हकूक मूल वाद के अंतिम निर्णय से होने है। इस स्थिति में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी धारा 136 एल आर एक्ट चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीयान खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक १०/१०/२०११ को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

१०/१०/११  
(प्रेमराज मीना)  
उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी,  
करौली (राज०)